संख्या-354 /2015/6107 /नौ-5-15-140बजट/2010टी0सी0

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर 2015

विषयः- जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43 क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहो की लाइनिंग कार्य सम्बन्धी परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ के पत्र संख्या-नि-2073/मु0अ0गंगा/ दिनांक 16.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहों की लाइनिंग की परियोजना की निर्धारित लागत रू0 12846.28 लाख (रू0 एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियालिस लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश संख्या- 195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं निर्देशों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्टआफिस/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

किया जायेगा तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ पीएफएडी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) प्रस्ताव का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) शासनादेश संख्या- 195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष आयोजनागत "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 354 /2015/6107(1) /नौ-5-15-140बजट/2010, तद्दिनांकA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
7- नगर आयुक्त,नगर निगम,,मेरठ ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ ।
10- सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12-- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-17/12/2015

प्रेषण संख्या:- 354

आवंटन आदेश संख्या:- 001-354-2015-6107-9-5-15-140B-10TC

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	203578000	203578000
	योग	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	203578000	203578000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी